भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 793
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी

793. श्री राजेश रंजनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण प्रतिवर्ष दवाओं की मूल्य वृद्धि के संबंध में सरकार को सलाह देता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है तथा उनमें से कुछ दवाओं की कीमतों में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान दवाओं की कीमतों में वर्ष-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;
(ङ) क्या सरकार ने दवा कंपनियों को विभिन्न दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति दी है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की भूमिका और उत्तरदायित्व को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाता है। एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड अथवा जेनेरिक) के सभी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (प्लस लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी होती है।

डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य को पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुएं) के आधार पर प्रति वर्ष 1 अप्रैल को अथवा उससे पहले संशोधित किया जाता है, जिसे सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 अप्रैल को अधिसूचित किया जाता है। डब्ल्यूपीआई वृद्धि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। पिछले नौ वर्षों का थोक मूल्य सूचकांक इस प्रकार है:

वर्ष	**डब्ल्यूपीआई वृद्धि/ह्रास (%)**
2024	0.00551%
2023	12.1218%
2022	10.76607%
2021	0.53638 %
2020	1.88468 %
2019	4.2662 %
2018	3.43812 %
2017	1.97186 %
2016	(-) 2.7105 %

यद्यपि, अनुसूचित दवाओं के मूल्य में वार्षिक अनुमत वृद्धि डब्ल्यूपीआई (सभी वस्तुएं) में वृद्धि पर आधारित होती है, डब्ल्यूपीआई वृद्धि अधिकतम अनुमत वृद्धि है जिसका लाभ विनिर्माताओं द्वारा उठाया अथवा नहीं उठाया जा सकता है। विनिर्माताओं द्वारा बाजार की गतिशीलता के आधार पर मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी की जाती है।

(ग) से (च): एनपीपीए अनुसूचित सम्मिश्रण के मौजूदा विनिर्माताओं के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 5 के आधार पर नई दवा का खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। एक विनिर्माता अपने द्वारा शुरू किए गए गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण (ब्रांडेड अथवा जेनेरिक) का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण के विनिर्माताओं को ऐसे सम्मिश्रण के अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है। अधिप्रभारन के मामले एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निपटाए जाते है।

*****